राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ.2/08/2020/एस.1/1/8 दिनांक 30.04.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए जा रहे हैं।

और जबकि, यह देखा गया है कि जिलों द्वारा अस्पतालों तथा प्रयोगशालाओं में भेजे जाने वाले परीक्षणों के नमूने बड़ी मात्रा में अनिर्णित रहते हैं. साथ ही, परीक्षणों की रिपोर्टिंग का वर्तमान हिसाब रखे जाने में परीक्षणों के आंकड़ों की गणना में यह कठिनाई आ रही है कि कितने व्यक्ति कोविड–19 बीमारी से पीड़ित हो रहे है।

और जबकि, भेजे गए/एकत्र किए गए नमूनों की गणना, किए गए परीक्षणों की संख्या और विभिन्न लैब/संस्थानों में उनके अनिर्णित रहने से हो कठिनाई से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस महामारी के प्रभावी प्रबंधन में बाधा आ रही है।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों के उपयोग के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं :

क) अब से, नमूनों और परीक्षण संबंधी डेटा दैनिक आधार पर मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारियों के पर्यवेक्षण में संलग्न प्रारूप के अनुसार एकत्र किया जाएगा।

ख) साथ ही, संबंधित अस्पतालों/संस्थानों/परीक्षण सुविधा केंद्रों/प्रयोगशालाओं के विभागाध्यक्ष संबंधित मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (सीडीएमओ) उस जिले के जिलाधिकारियों को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे जहां उक्त अस्पताल/संस्थान/परीक्षण सुविधा केंद्र/प्रयोगशालाए स्थित हों।

ग) प्रत्येक जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (सीडीएमओ) प्रतिदिन सायं 6 बजे तक दैनिक आधार पर उक्त रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रस्तुत करने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नमूना रिपोर्ट प्रारूप (जिसे पहले

से ही 29 अप्रैल, 2020 को सभी जिलों को साझा किया गया है) पर जानकारी को अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

घ) जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन बिना किसी विफलता के सही और प्रामाणिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत/अद्यतन की जाती हों।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालन हेतु :–

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समस्त अस्पतालों/संस्थानों/परीक्षण सुविधा केंद्रों/प्रयोगशालाओं के प्रमुख को नमूने एकत्र/प्राप्त करने या कोविड–19 के लिये परीक्षण करने हेतु।
3. समस्त मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, समस्त मंत्रीगण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
6. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह– मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के समस्त सदस्य।
11. निदेशक (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को व्यापक प्रचार के लिए।
12. सिस्टम अनेलिस्ट, संभागीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली को इसे वेबसाइट ddma.delhigovt.nic.in पर अपलोड करने के लिए
13. गार्ड फाइल

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली